पत्रांक–9प० / वि०–01–637 / 2024 / 1613 / पं०रा०

अत्यावश्यक ई–मेल / फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कृष्ण कुमार यादव,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः 16 / 2 / 2024

विषयः– **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल), माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न डायरी संख्या–1 / 206 / 57 (ऑनलाईन) का हस्तानांतरण करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक पत्र के आलोक में बिहार विधान परिषद् से प्राप्त श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल), माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न डायरी संख्या–1 / 206 / 57 (ऑनलाईन) विभाग को प्राप्त है।

अंकित अल्प सूचित प्रश्न का विषय **''राज्य के पंचायतों में मनरेगा से होने वाले कार्यों में एक बार में 20 योजनाओं के पूर्ण होने पर ही अन्य योजना प्रारंभ करने के नियम को हटाने से संबंधित है।''** उपर्युक्त वर्णित कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादन नहीं किया जाता है। यह विषय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से संबंधित है।

अतएव अल्प सूचित प्रश्न की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वर्णित अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन बिहार विधान परिषद् सचिवालय को ससमय भेजने की कृपा की जाय।

इसकी सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(कृष्ण कुमार यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–9प / वि०–01–637 / 2024 / 1613 / पं०रा० पटना, दिनांक 16 / 2 / 2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के अल्प सूचित प्रश्न डायरी संख्या–1 / 206 / 57 (NEVA ऑनलाईन) के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण कुमार यादव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\2024\Transfer Letter.docx